फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

समु बनाम मोहम्मद हनीफ

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–21/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2019	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस वकील उभय पक्ष दिनांक 03.12.19 को सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी के नाम रोही ठूकराना खसरा नं. 545/172 की 6.325 है0 भूमि में से 2.277 है0 बारानी भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम रोही ठूकराना ख0न0 545/172/6.325 है0 बारानी खातेदारी भूमि संयुक्त खाता की है। जिसमें प्रार्थी का 2.277 है0 अप्रार्थी संख्या 2 का 2.024 है0 एवं अप्रार्थी सं. 3 का 2.024 है0 हिस्सा भूमि है। प्रार्थी एवं दावा में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने काफी पहले ही घेरलू सहमति से मौखिक रूप से 6.325 है0 भूमि अपने हिस्सा अनुसार बंटवारा लिया है तथा मौका पर बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है, घरेलू बंटवारा में प्रार्थी को अपना 2.277 है0 भूमि पश्चित पासा में मिली हुई जो थर्मल से ठूकराना जाने वाली सड़क के पूर्व की दिशा पर सड़क से चिपती हुई है। प्रार्थी की भूमि के पश्चिम में सड़क के पार अप्रार्थी सं0 1 के नाम ख0न0 542/172 में 7.362 है0 भूमि है, लेकिन अप्रार्थी का मात्र 3 बीघा भूमि पर पिछले 2–3 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त रकबा उसने बिना कब्जा काश्त फर्जी तौर पर राजस्व कार्मिको से मिलीभगत कर आवंटन करवा ली तथा बिना कब्जा काश्त मात्र 3 बीघा कब्जा होते हुए 7.362 है0 भूमि खातेदारी करवा ली। उक्त रकबा अप्रार्थी सं. 1 के नाम से मात्र पेपर आवंटन है, मात्र 3 बीघा कब्जा ही प्रतिवादी के पास है। उक्त भूमि की आड़ में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की पश्चिमी दिशा से जबरन कब्जा करने पर उतारू है। प्रार्थी को धमकी दी है कि वह उसकी भूमि पर कब्जा करेगा। अप्रार्थी नं. 1 अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध दावा के निर्णय तक प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 545/172 की 2.277 है0 भूमि में मदालखत बेजा करने से बाज रहे का स्थगन आदेश जारी किया जावे। वकील अप्रार्थी ने बताया कि ग्राम ठूकराना के खसरा नं. 542/172 की 7.362 है0 भूमि उसके नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिस पर अप्रार्थी काबिज है। अप्रार्थी अपनी 7.362 है0 भूमि काबिज है तथा तारबंदी की हुई है। प्रार्थी हमारी भूमि खसरा नं0 542/172 की भूमि पर काबिज होना चाहता है। हम अपनी भूमि कब्जा कर काश्त कर रहे है। प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख0न0 542/172 की 7.362 है0 में प्रवेश का कतई अधिकार नही है। इसलिये प्रार्थी को पाबंद किया जावे कि वह अप्रार्थी की ख0न0 542/172 की 7.362 है0 भूमि में दखलदांजी नही करें। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमि अलग–अलग खसरान की है। प्रार्थी ने बताया है कि अप्रार्थी उसकी खातेदारी भूमि में दखलदांजी कर रहे है। किन्तु प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई नक्शा/दस्तावेज पेश नही किये है। सिर्फ मौखिक तथ्यों के आधार पर ही किसी खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित नही है। कब्जा का विवाद है तो वह दावा में बयान/साक्ष्य प्रस्तुत होने पर ही तय होगें। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण की ओर नही होना प्रकट होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.0पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रा0पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 28.02.2017 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.27 12:40:40 IST
Reason: SelfAttested